न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06 / 2016 (2016 / 00026) वाद पत्र

अनवान

1—प्रेमदेवी पुत्री मांगीलाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल कावाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—लक्ष्मण पिता मांगीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गोदावरी पिता मांगीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—विमला पिता मांगीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—रेखा पिता मांगीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. सुनिल बापना — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—23.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि आराजियात ग्राम आसपुर व पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास में स्थित है। ग्राम पनोतिया के खाता संख्या 377 में अंकित आराजी संख्या 1105 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1106 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1149 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1501 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1510 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1637 रकबा 0.56 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.13 है0 भूमि इसी तरह ग्राम पनोतिया के खाता संख्या 368 में अकिंत आराजी संख्या 1112 रकबा 0.15 है0 भूमि व इसी तरह आराजी संख्या 1104 रकबा 0.03 है0 भूमि व इसी तरह ग्राम आसपुर के खाता संख्या 164 में अकिंत आराजी संख्या 727 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 728 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 729 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 753 रकबा 0.55 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मूल पुरुष जगन्नाथ जी थे जिनके एक पुत्र नाथु व पत्नी सोसी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है व नाथु के एक पुत्र मांगीलाल हुआ, मांगीलाल के एक पुत्र लक्ष्मण व पत्नी गोदावरी व तीन पुत्रीया क्रमशः विमला, प्रेम, रेखा हुए। प्रार्थीया मृतक मांगीलाल की जायदा पुत्री होकर मांगीलाल की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है जिससे प्रार्थीया का उक्त संपत्ति में जन्म से हक, हिस्सा एवं स्वत्व है उसी अनुसार प्रार्थीया मौके पर काश्त करती चली आ रही हैं किन्तु नाथुलाल जी व मांगीलाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तरण ग्राम पनौतिया का ना०सं० 1308 दिनांक 28.11.2001 ना०सं० 73 दिनांक 20.12.2004 केवल विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर ही निर्णित कर दिया गया व ना०सं० 206 दिनांक 8.1.2007 केवल विपक्षी संख्या एक से चार नाम पर ही निर्णित किया गया इसी प्रकार ग्राम आसपुर के ना०सं० 49 दिनांक 23.3.2005 केवल विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर निर्णित कर दिया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने लायक हैं चूँकि प्रार्थीया भी मृतक मागीलाल शर्मा की विधिक प्रतिनिधी होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं जिनका अंकन इस विरासत के नामान्तरण में होना चाहिए। परंतु विपक्षी संख्या एक से चार ने प०ह० से मिली भगत करके संपुर्ण भूमियों का

नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमी पर प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर अपने हक एवं हिस्से अनुसार काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थनापत्र की पैरा 3 में वर्णित कृषि आराजियात प्रार्थीया के पिता मांगीलाल का संपूर्ण हक एवं हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड खसरा मिलान सम्वत् 2055 तक में एवं जमाबंदी सम्वत् 2059 से 2062 एवं जमाबंदी सम्वत् 2000 से 2063 में दर्ज रेकॉर्ड है। मांगीलाल जी की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का जो नामान्तरण खोला गया वह अकेले विपक्षी संख्या एक से चार नाम पर तस्दीक कर दिया जबकि उनकी जायदा पुत्री प्रेम भी है। प्रार्थीया का उक्त वादपत्र के पैरा संख्या दो के क,ख,घ में वर्णित कृषि आराजियत में 1/5 हिस्सा है तथा पैरा ग में वर्णित चाह मे प्रार्थीया का 1/15 हिस्सा है, इसी अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। इस संपूर्ण भूमी में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या एक से चार का बराबर बराबर हक एवं हिस्सा है उसी अनुसार प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात ग्राम आसपुर व ग्राम पनौतिया में स्थित, कृषि आराजियात जो कि प्रार्थीया के दादा व पड़दादा नाथु जी व जगन्नाथ के समय से चली आ रही है व मौरूषी जायदाद है जिसमे प्रार्थीया का भी हिन्दू अविभक्त संपत्ति में बराबर का हक हिस्सा निहित है चूंकि उक्त भूमी में मांगीलाल जी की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण खोला गया उसमें प्रार्थीया प्रेम का नाम अंकित नही किया जाकर संपूर्ण भूमियों का नामान्तरण विपक्षी संख्या एक से चार के नाम पर तस्दीक कर दिया गया जबकि प्रार्थीया मृतक मांगीलाल की विधिक वारीसान होकर उसकी जायदा पुत्री है जिसके आधार पर वह राजस्व रेकॉर्ड में अपने नाम का इन्द्राज करवाने की अधिकारीणी है। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमी मौरूषी होकर के पैतृक संपत्ति है परंतु विपक्षी संख्या एक से चार की नियत में फितूर आ जाने से उक्त भूमी को विपक्षी संख्या एक से चार द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत करके विरासत की जांच किए बिना ही अकेले अपने नाम पर विरासत करवा कर संपूर्ण हक व हिस्सा को विपक्षी संख्या एक से चार ने अपने नाम पर दर्ज करवा लिया जबकि उक्त नामान्तरण शुरू से ही नल एण्ड वॉईड है तथा प्रार्थीया के हक एवं हिस्से के मुकाबले में शुन्य प्रभावी हैं। वादग्रस्त आराजियात के जो फर्दन फर्दन तरीके से नामांतरण खोले गए हैं वह प्रार्थीया के हक एवं हिस्से के मुकाबले में शुरू से ही शुन्य होकर निष्प्रभावी है। चूंकि उक्त भूमी पर प्रार्थीया अपने हक एवं हिस्सा के अनुसार अपने पिता की मृत्यु के बाद से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है। प्रार्थीया का नाम नामान्तकरण से दर्ज नही होने से विपक्षीगण नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीया को मौके से बेदखल करने व अन्य को अन्तरण करने पर आमादा है। यदि मौके से प्रार्थीया का बेदखल कर दिया तो प्रार्थीया का अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन नकदी मे नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि में उपयोग उपभोग व काश्त करने व उक्त भूमि को रहन, बय, बक्षीस व किसी भी तरीके से अन्तरित नहीं करे, विपक्षी संख्या 5 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा विपक्षी संख्या 5 के यहां उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 5 फोरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि वादपत्र में अंकित सजरे मे प्रार्थीया ने अपने आपको मांगीलाल जी की पुत्री बताया है जो गलत है। प्रार्थीया प्रेमदेवी, मांगीलाल जी की पुत्री नहीं है। वादवर्णित कृषि आराजियात को प्रार्थीया ने अपनी पैतृक सम्पत्ति बताया हैं जो गलत हैं उक्त वर्णित कृषि आराजियात प्रार्थीया की पैतृक सम्पत्ति नही हैं प्रार्थीया का वादवर्णित कृषि आराजियात से कोई सरोकार नही है वाद प्रार्थीया सव्यय खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया का जवाबदाता विपक्षीगण के परिवार से कोई संबंध नहीं है। न ही प्रार्थीया स्व. मागीलाल जी की पुत्री ही है जब प्रार्थीया मांगीलाल जी की पुत्री हैं ही नहीं तो वादवर्णित आराजियात से भी प्रार्थीया का कोई लेना देना हक अधिकार भी नहीं हैं प्रार्थीया ने जवाबदाता विपक्षीगण की वादवर्णित कृषि आराजियात को हडपने के लिये गलत तथ्यों व आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं जो खारिज होने योग्य है। वादवर्णित आराजियात का नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 20/12/2004 व नामान्तकरण संख्या 1308 दिनांक 28/11/2001 को विपक्षीगण के नाम पर खोला गया जो सही खुला है। प्रार्थीया स्व. मागीलाल जी की पुत्री नही हैं। इसलिये वादवर्णित आराजियात मे उसका कुछ भी हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थीया नाथुलाल बैरवा की पत्नी होकर भीलवाडा मे निवास करती है। प्रार्थीया जवाबदाता विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा सम्पूर्ण जाच करने के उपरांत ही वादवर्णित आराजियात का नामान्तकरण मांगीलाल जी की मृत्यु के बाद जबाबदाता विपक्षीगण के नाम पर खोला गया है। प्रार्थीया केवल मात्र वादवर्णित आराजियात को हड़पना चाहती है इसलिए झूठे मनगढंत, तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया हैं जो सव्यय खारिज होने योग्य हैं प्रार्थीया जवाबदाता विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की दाद प्रस्तुत करने की अधिकारिणी नही है। वादवर्णित आराजियात से प्रार्थीया का कोई लेना देना, हक अधिकार है ही नहीं तो उसका कब्जा होने का भी प्रश्न नहीं उठता। उक्त कलम में प्रार्थीया ने असत्य एवं मनगढ़ंत तथ्य अंकित किये हैं जो जवाबदाता विपक्षीगण को स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का न तो प्रथम दृष्ट्या प्रकरण हैं न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में हैं प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजियात प्रार्थीया की पैतृक भूमि नहीं हैं, न ही उक्त वर्णित आराजियात से प्रार्थीया का कोई लेना देना ही है। प्रार्थीया स्व. मांगीलाल जी की पुत्री भी नहीं हैं, न ही प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात पर कोई आधिपत्य ही है। इसलिए प्रार्थीया को कोई अपूरणीय क्षति भी होने वाली नहीं हैं प्रार्थीया जवाबदाता विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थनापत्र प्रार्थीया सव्यय खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रार्थीया मूल पुरूष जगन्नाथ जी, नाथुलालजी, मांगीलालजी की विधिक वारीस है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में तथ्यो को अस्वीकार करते हुए केवल मात्र यह कहा गया कि प्रार्थीया नाथुलाल बैरवा की पत्नी होकर भीलवाडा मे निवास कर रही है इसमें विपक्षीगण द्वारा अपने जावाबदावे में यह कही नही बताया कि प्रार्थीया किसकी पुत्री है और प्रार्थीया का विपक्षीगण से क्या सम्बन्ध है जबकि प्रार्थीया विपक्षीगण की सगी बहन होकर विपक्षीगण के खानदान और परिवार की है। प्रार्थीया का सजरे अनुसार 1/5 हिस्सा बनता है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है अगप विपक्षीगण भूमि को खुर्द बुर्द कर दी है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। मुलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया का विपक्षीगण से कोई सम्बन्ध नही है प्रार्थीया नाथुलाल बैरवा की

पत्नी होकर भीलवाडा मे निवास कर रही है। जब प्रार्थीया इस परिवार की है ही नही तो विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी तरह से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को क्षति होगी। प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रकरण में प्रार्थीया की ओर से न्यायालय में मूलवाद पेश कर रखा है जिसम साक्ष्य और सबुत के आधार पर तय होना है कि प्रार्थीया विपक्षीगण की बहन है या नही विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के जवाब में केवल मात्र यह अकिंत किया कि प्रार्थीया नाथुलाल बैरवा की पत्नी होकर भीलवाडा मे निवास करती है। जवाब में यह कही नही लिखा कि प्रार्थीया किसकी पुत्री है। इससे यह प्रमाणित होता है कि विपक्षीगण जानबुझ कर प्रार्थीया को इग्नोर कर रहे है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अगर विपक्षीगण के द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द कर दी गई तो कानुनी लिटिकेशन बढ़ते हुए प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम पनोतिया के खाता संख्या 377 में अंकित आराजी संख्या 1105 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1106 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1149 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1501 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1510 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1637 रकबा 0.56 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.13 है0 भूमि व ग्राम पनोतिया के खाता संख्या 368 में अकिंत आराजी संख्या 1112 रकबा 0.15 है0 भूमि व ग्राम पनोतिया की आराजी संख्या 1104 रकबा 0.03 है0 भूमि व ग्राम आसपुर के खाता संख्या 164 में अकिंत आराजी संख्या 727 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 728 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 729 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 753 रकबा 0.55 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि को उपयोग उपभोग व काश्त करने व रहन, बय, बक्षीस व किसी भी तरीके से अन्तरित नहीं करे, विपक्षी संख्या 5 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला-भीलवाड़ा